



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 951]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2016/वै'ख 1, 1938

No. 951]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2016/VAISAKHA 1, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2016

का.आ. 1462(अ).—यतः, मै. कॉगनिजेन्ट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्रा. लि., जो तमिलनाडु राज्य का पूर्णतः निजी संगठन है, ने तमिलनाडु राज्य के सिपकाॅट आईटी पार्क, सिरुसेरी और काझीपत्तुर गाँव, चेन्नई में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2140(अ) दिनांक 17 दिसंबर, 2007 द्वारा तमिलनाडु राज्य के सिपकाॅट आईटी पार्क, सिरुसेरी और काझीपत्तुर गाँव, चेन्नई में 10.85.0 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. कॉगनिजेन्ट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्रा. लि ने अब 5.66.7 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए दिनांक 27 जून, 2013 को स्वीकृत पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 5.66.7 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 16.517 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित प्लॉट संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं	गाँव	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	एगाट्टुर	76 पार्ट	1.80.5
2.	काजीपत्तूर	117 पार्ट	3.86.2
कुल			5.66.7
उपर्युक्त जोड़ के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			16.517

[फा.सं.एफ.2/77/2005-एसईजेड]

डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2016

S.O. 1462(E).—WHEREAS, M/s. Cognizant Technology Solutions India Pvt. Ltd., a fully private organization in the State of Tamil Nadu, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at SIPCOT IT Park, Siruseri and Kazhipattur Villages, Chennai, in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 10.85.0 hectares at SIPCOT IT Park, Siruseri and Kazhipattur Villages, Chennai, in the State of Tamil Nadu as Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2140 (E) dated 17th December, 2007;

And whereas, M/s. Cognizant Technology Solutions India Pvt. Ltd, has now proposed to include an area of 5.667 hectares as a part of above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for notification of above area on 27th June, 2013;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 5.667 hectares, as a part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as 16.517 hectares, comprising the plot number and the area given below in the table^ए namely:-

TABLE

S.No.	Village	Survey No.	Area in hectares
1.	Egattur	76 Part	1.80.5
2.	Kazhipattur	117 Part	3.86.2
Total			5.66.7
Grant total area of SEZ after above addition			16.517

[F. No. F.2/77/2005-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.